

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) पाली, राजस्थान**

प्रमाण-विधि/अ/पात्र/पाली/निजी/मान्यता/2012/

दिनांक = 12/3/12

कमकराज लोडा/एन.ए.ए.ग/12

स्थान: पाली

प्रकार: योजना

विद्यालय नाम: कमकराज लोडा राजनीगर स्कूल पाली

विषय: नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पात्र।

श्रीमान,

आपके आवेदन दिनांक 08/03/12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातपाली पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं कमकराज लोडा प्राथमिक स्कूल सीनीगर से 4 वर्ष को 13-14 से 15-16 तक तीन वर्ष के लिए अन्ततम मान्यता मंजूर करता हूँ।


इसके मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी -

1. मान्यता के लिए मंजूरी विचारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई वाधता अन्तर्गत नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रिय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के छात्र-संख्या का सभा तक आस पढ़ाई के कमजोर बच्चे और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसको समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पथक बैंक खाता रखेगा।
5. साक्षात्/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस राखाहत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या सरदार को किसी छटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम को पैरा 15 के उपबन्धों को पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि -
  - विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रखा या विद्यालय से विभाजित नहीं किया जायेगा।
  - बड़े बालक अथवा अन्य कारणों से प्रवेश को पात्र नहीं होगा।
  - किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी छोटे को प्रवेश उत्तीर्ण करना अपेक्षा नहीं होगी।
  - प्रारम्भिक शिक्षा पुराने करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकतम प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियोज्यता/विशेष आवश्यकता के विधायियों को सम्मानित किया जाये।
  - अध्यापक, 2009 के अधिनियम को धारा 23 को उप-धारा (1) के अधीन अधिकतम न्यूनतम आदर्शों सहित भर्ती किये जाये।

परन्तु वर्तमान अध्यापक को 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ तक न्यूनतम शर्तों को नहीं रखने के 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तु के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर शिक्षा न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे।

- अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
  - अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगावेंगे।
7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
  8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
    - ❖ विद्यालय परिसर का क्षेत्र 10910 Sq.m
    - ❖ कुल निर्मित क्षेत्र 1090 Sq.m
    - ❖ खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र उपलब्ध
    - ❖ कक्षा के कमरों की संख्या 30
    - ❖ प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्षा 1, 1, 1
    - ❖ लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर उपलब्ध
    - ❖ पाने के पानी की सुविधा उपलब्ध
    - ❖ मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
    - ❖ अवरोध मुक्त पहुंच उपलब्ध
    - ❖ अध्यापक विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता उपलब्ध
  9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
  10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
  11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
  12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
  13. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रति एक प्रति, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पाली को अतिवर्ष भेजी जायेगी।
  14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता क्र. संख्या PBC/Sr. Sec/227/15 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
  15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पाली द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसी निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाये।
  16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
  17. अन्य शर्तें सलग्न पारिशिष्ट के अनुसार हैं।

भवदीय

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
19/3/15  
(प्रारम्भिक शिक्षा) पाली

  
Dr. Anil Kumar Mishra  
PRINCIPAL

Kanakraj Sawantraaj Lodha

Public School, Pali